आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

13.05.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0– 09/2014–15

प्रदीप कुमार राय, पिता–स्व0 भुवनेश्वरी प्र0 राय, सा0–कुआड़ी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

हलेश्वर राम, पिता–घुरन राम, सा0–खुटहरा, थाना–सिकटी, जिला–अररिया एवं अन्य – उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक प्रदीप कुमार राय, पिता–स्व0 भुवनेश्वरी प्रसाद राय, ग्राम–कुआड़ी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया द्वारा नामान्तरण अपील वाद वाद सं0 187/12 / 99/2013–14 में दिनांक 19.09.2013 को विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 11.07.2014 को समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 11.07.2014 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 11.09.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
खुटहरा अंचल–सिकटी	237	170	31 डी0

द्वितीय पक्ष की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि का खतियान हरि राय, पिता–कन्हाय राय के नाम से दर्ज था और हरि राय निःसंतान अपने बड़े भाई भुटकन राय को छोड़कर मृत हुए। इस प्रकार भुटकन राय, हरि राय के उत्तराधिकारी हुए और वादग्रस्त भूमि उन्हें प्राप्त हुई। जिसपर वे दखल काबिज हुए। भुटकन राय के मृत्यु के पश्चात् उनके दो पुत्र पूर्जन राय एवं भरत राय उनके सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए और इन दोनों पुत्रों से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 12541, दिनांक 11.08.1975 द्वारा वादग्रस्त भूमि हरिहर प्रसाद राय द्वारा खरीद कर अपने नाम से जमाबंदी कायम कराकर दखलकार हुए। चकबंदी सर्वे के दौरान उक्त जमीन का चकबंदी खतियान के अन्तर्गत चक खाता सं0 201 एवं खेसरा सं0 322 हरिहर प्रसाद राय के नाम से दर्ज हुआ।

इनका यह भी कहना है कि हरिहर प्रसाद राय ने अपने जीवन काल में वर्ष 2003 में वादग्रस्त भूमि का वसियतनामा अपने भतीजा प्रदीप कुमार राय (पुनरीक्षणकर्त्ता) के पक्ष कर दिया और हरिहर प्रसाद राय के मृत्यु के पश्चात् प्रदीप कुमार राय द्वारा जिला जज, पूर्णियाँ के न्यायालय में L.A. (लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) वाद सं0

04/2006 दाखिल कर दिनांक 20.04.2011 को वसियतनामा को Probate करा लिया गया है और वादग्रस्त भूमि पर दखलकार होते चले आ रहे है। विपक्षी (उत्तरवादी) हलेश्वर राम ने प्रश्नगत भूमि का भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा निर्गत पट्टा के आधार पर विज्ञ अंचलाधिकारी, सिकटी से दाखिल–खारिज वाद सं0 988/2011–12 द्वारा नामान्तरण कराकर लगान रसीद प्राप्त कर लिया गया है। विपक्षी के पक्ष में जो भूदान पट्टा निर्गत है वो जाली एवं गैरकानूनी है। क्योंकि पूर्जन राय और उनके भाई द्वारा वादग्रस्त भूमि कभी भी भूदान में नहीं दी गयी है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी कभी भी दखलकार नहीं हुए है। विज्ञ अंचलाधिकारी द्वारा विपक्षी के पक्ष में गलत ढ़ंग से आदेश पारित किया गया है, क्योंकि नामान्तरण वाद में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी है। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में अपील वाद सं0 187/12 / 99/2013–14 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा भी आवेदक के दावे को अनसुनी कर विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। विपक्षी द्वारा 08 डी0 भूमि प्रश्नगत खाता, खेसरा से विक्रेता हरिहर प्रसाद राय से बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 3138, दिनांक 28.03.1982 द्वारा क्रय कर दाखिल–खारिज करा लिया गया है। इसी वाद भूमि के अंदर से रकबा 02 डी0 का विन्दिया देवी, पति–स्व0 सृजन राम के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत है। जिसकी अनदेंखी करते हुए विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो युक्तिसंगत एवं न्यायपूर्ण नहीं है। जिसे रद्द कर पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि भूस्वामी पूरजन राय ने प्रश्नगत भूमि स्वेच्छा से भूदान यज्ञ कमिटी को वर्ष 1957 ई0 में दान में दिया। जिसका सम्पुष्टि भी दिनांक 16.12.1958 ई0 को ही हो चुका है। भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी हलेश्वर राम को भूदान पट्टा निर्गत कर दखल–काबिज करा दिया गया। जो पट्टा सम्पुष्ट भी है। इस प्रकार हलेश्वर राम प्रश्नगत भूमि पर मकानमय सहन दखलकार होते चले आ रहे है और भूदान पट्टा के आधार पर निचले न्यायालय से नामान्तरण वाद सं0 988/2011–12 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने भी नामान्तरण वाद में प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी के दखल–कब्जा को प्रतिवेदित किया गया है। जिसमें उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि विपक्षी हलेश्वर राम प्रश्नगत भूमि पर घर–मकान बनाकर शांतिपूर्वक दखलकार है। इसकी सम्पुष्टि विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा भी नामान्तरण अपील वाद सं0 187/2012 / 99/2013–14 में पारित आदेश में भी की गई है। प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता कभी भी दखलकार नहीं हुये है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 19.09.2013 विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण है, जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, उनके तर्क, तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों का परिशीलन किया। कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, अररिया से इस कार्यालय के पत्रांक 764/रा0, दिनांक 04.04.2016 द्वारा श्री हलेश्वर राम को निर्गत भूदान पर्चा की वैद्यता के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई। भूदान कार्यालय मंत्री द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–खुटहरा, थाना नं0 07, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया में दाता पूरजन राय, पिता–भूटकन राय, ग्राम–खुटहरा, अंचल–सिकटी, जिला–अररिया ने भूदान यज्ञ में 1.00 एकड़ भूमि दान दिया है, जिसकी सम्पुष्टि वाद सं0 1269, दिनांक 16.12.1958 है।

संबंधित दाता के द्वारा दानित खाता नया 237, पुराना 27, खेसरा नया 232, पुराना 229, रकवा 32 डी0 का वितरण वर्ष 1987 में भूदान किसान श्री हलेश्वर राम,

पिता–घुरन राम के नाम से प्रमाण–पत्र सं0 687887 के द्वारा प्रदत्त किया गया है, जो सहीं है। प्रश्नगत खेसरा 170 चक खेसरा है, जिसका आर0एस0 खेसरा 232 है।

जहाँ तक प्रश्नगत जमीन पर दखल–कब्जा का प्रश्न है तो प्रश्नगत जमीन पर उत्तरवादी हलेश्वर राम का मकानमय सहित दखल–कब्जा कायम है, जिसकी पुष्टि नामान्तरण वाद सं0 988/2011–12 में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन से भी होता है। नामान्तरण की प्रक्रिया में प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा का होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित जो पट्टा भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा विपक्षी के पक्ष में निर्गत किया गया है वह विधि सम्मत नहीं है। प्रथम पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि से 08 डी0 भूमि भूदान किसान हलेश्वर राम द्वारा क्रय की बात कही गई है, वह संभव है कि भूधारी द्वारा उक्त भूदान किसान को अंधकार में रखकर भूदान में दी गई भूमि बिक्री कर दी गई हो। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्त्ता अपने दावे को साबित करने में असफल रहें है।

अतएव नामान्तरण अपील वाद सं0 187/12 / 99/2013–14 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 19.09.2013 को विधिसम्मत पाते हुए उसे बहाल रखा जाता है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद का विनिश्चय किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया एवं अंचलाधिकारी, सिकटी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संसोधित

ह0 — ह0 —

अपर समाहर्त्ता अपर समाहर्त्ता

अररिया अररिया

(न्या0)

ज्ञापांक 82/रा0, अररिया, दिनांक 13/05/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को निम्न न्यायालय का नामातन्तरण अपील वाद सं0 187/12 / 99/2013–14 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप : अंचल अधिकारी, सिकटी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13.5.16

अपर समाहर्त्ता

अररिया